



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट—<http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाषन. — 0755-2466970, 2466859

फैक्सन. — 0755-2462136

No: 274/ SEIAA/2025

Date: 23/05/2025

प्रति,

M/s Salasar Minerals

Prop, Shri Vibhor Agrawal,

R/o 7/101, Civil Lines, Tilak Ward, Mandla,

Dist. Mandla (MP)

E-mail - vibhoragr@gmail.com

विषय :- Proposal No. SIA/MP/MIN/518376/2025- Case No. 11098/2023 Prior Environment Clearance for Dolomite Mine (Opencast semi mechanized method) in an area of 2.25 ha. for production capacity of 50721 ton per year, Khasra No. 104, Village-Bhatiya, Tehsil Nainpur, District-Mandla (MP) by M/s Salasar Minerals Prop, Shri Vibhor Agrawal, R/o 7/101, Civil Lines, Tilak Ward, Mandla, Dist. Mandla (MP)

विषयान्तर्गत प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 777वीं बैठक दिनांक 11.03.2025 में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित पर्यावरण अनुमति प्रदान किये जाने की अनुशंसा कर प्रकरण दिनांक 15.03.2025 को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) को अग्रेषित किया गया। प्रश्नाधीन प्रकरण SEIAA की बैठक में विचारण नहीं होने के कारण 45 दिवस से अधिक की अवधि समाप्त हो गई है।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की ईआईए अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के पैरा 8 की कंडिका (iii) इस प्रकार है - "In the event that the decision of the regulatory authority is not communicated to the applicant within the period specified in sub-paragraphs (i) or (ii) above, as applicable, the applicant may proceed as if the environment clearance sought for has been granted or denied by the regulatory authority in terms of the final recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned."

अतः ईआईए अधिसूचना के पैरा 8 की कंडिका (iii) के अनुसार उक्त प्रकरण में SEAC की 777वीं बैठक दिनांक 11.03.2025 में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित पर्यावरण स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को अंतिम निर्णय मानते हुए राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा "Deemed Approval" माना जाकर पर्यावरण अनुमति दी जाती है। तदनुसार प्रकरण में ईआईए अधिसूचना के पैरा 8 की कंडिका (iii) के अनुसार आगामी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने हेतु आप स्वतंत्र हैं।

(प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग द्वारा अनुमोदित)

23/05/25

(श्रीमन् शुक्ला)

कार्यपालन संचालक, एण्डो

एवं सदस्य सचिव, SEIAA

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल (म.प्र.)।
4. अध्यक्ष, SEIAA, एप्को पर्यावरण परिसर भोपाल (म.प्र.)।
5. अध्यक्ष SEAC, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)।
6. सदस्य सचिव, SEAC एवं सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल।
7. कलेक्टर, जिला मण्डला (म.प्र.)।
8. वन मंडलाधिकारी, जिला मण्डला (म.प्र.)।
9. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल।
10. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
11. खनिज अधिकारी, जिला मण्डला (म.प्र.)।
12. संबंधित फाईल।

की ओर सूचनार्थ।



कार्यपालन संचालक, एप्को
एवं सदस्य सचिव, SEIAA

8. Case No. 11098/2023 M/s Salasar Minerals Prop, SHRI VIBHOR AGRAWAL, R/o 7/101, Civil Lines, Tilak Ward, Mandla, Dist. Mandla (MP) Dolomite Mine in an area of 2.25 ha. (50721 ton per year) (Khasra No. 104), Village-Bhatiya, Tehsil-Nainpur, District-Mandla (MP) [518376] (EIA-Query Reply)

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 775 वीं बैठक दिनांक 21/02/2025 में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज एरिया कुल 2.25 हेक्टेयर भूमि पर खनन कार्य प्रस्तावित है। प्रकरण में डिया से दिनांक 17/08/2016 की ई.सी. प्राप्त है।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. लीज एरिया पेसा (PESA)एक्ट के अर्न्तगत अधिसूचित क्षेत्र में आता है अथवा नहीं ? यदि हाँ तो ग्रामसभा का अभिमत/अनापत्ति प्रस्तुत करें।
2. इंवायरमेन्टल कॉस्ट बेनेफिट एनालीसिस प्रस्तुत करें।
3. ई.एम.पी. योजना में गारलैण्ड ड्रेन बनाने का प्रस्ताव पर्याप्त बजट के साथ देंगे।
4. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत स्कूल में 5 किलोवाट का सोलर पेनल लगाने का प्रस्ताव देंगे।

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 25/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अंकुर शर्मा मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुएऔर उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरानपर्यावरणीय सलाहकार द्वारासेक की 775 वीं बैठक दिनांक 21/02/2025 में चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई।समिति ने परियोजना प्रस्तावक के द्वारा प्रस्तुत जानकारी संतोषजनक पाई गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- अनुमोदित खनन योजना अनुसार डोलोमाइट उत्पादन क्षमता -50,721टन/वर्ष।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 24.49 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.09 लाख प्रति वर्ष।
- वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 2715 वृक्षों का वृक्षारोपणकिये जाय
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 3.0 लाख :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
Installation of Solar panel of 5 KW in Bhatiyatola School	300,000/-
Total	300,000/-

9. Case No. 11099/2023 M/s Salasar Minerals Prop, SHRI VIBHOR AGRAWAL, R/o 7/101, Civil Lines, Tilak Ward, Mandla, Dist. Mandla (MP) Dolomite Mine in an area of 2.82 ha. (35915 ton per year) (Khasra No. 101/1, 101/2, 101/3), Village-Bhatiya, Tehsil-Nainpur, Mandla (MP) (EIA- Query Reply)

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 775 वीं बैठक दिनांक 21/02/2025में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स सालासर मिनरल्स निवासी-7/101सिविल लाइन्स, मंडला जिला मंडला (म. प्र.)	
खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	निजीभूमि	2.82 hectare.
स्थल	ग्राम भटियाटोलातहनैनपुर, जिला मंडला(म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय म.प्र. खनिज साधन विभाग भोपाल पत्रक्र. एफ3-25/1994/12/2दिनांक 07.09.19 के द्वारा लीज स्थानांतरण शेष अवधि दिनांक04.01.2045 तक के लिए स्वीकृत ।	
टॉर	सेक की मीटिंग 740वीं बैठक दिनांक 24/04/2024	
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डियाई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया मंडला के पत्र क्रमांक 34 दिनांक 17.08.2016 के द्वारा पत्थर-35915 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा35915 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 35915 मीट्रिक टन/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि मेंअन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंडला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1241 दिनांक 24.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में तेरहअन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 28.235 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1241दिनांक 24.07.2023अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिवजोनजैवविविधता क्षेत्र एवंवन क्षेत्र 242मीपरस्थित है।म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेशक्र. एफ-5/16/81/10-3 भोपाल दिनांक 07.10.2002 कीकंडि का 2(छ) अनुसार वर्ष 2002 से पूर्व स्वीकृत उत्खनिपट्टा में 250 मी की दूरी में स्थित खनिरियायत में गठित समिति संबंधी आदेश लागू नहीं होंगे	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	

	1241 दिनांक 24.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि मेंमानवबसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिकभवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रोंजैसे : रेडियोस्टेशन, दूरदर्शन, हवाईअड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/ स्टॉपडैम/ नहर/ ग्रामीणकच्चा/ पक्कारास्ता/ नालानह ी है ।
ग्रामसभा/ ग्रामपंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मुगदराजिला मंडलाके ठहराव प्रस्ताव दिनांक 02.02.2014 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावितस्थलपर वृक्षों की वर्तमानस्थिति	No trees existed within lease area
प्रस्तावितस्थल की गूगल इमेज अनुसारवर्तमानस्थिति	उत्तरदिशा—352मी. बंजरनदी
	दक्षिणदिशा—242मी. फारेस्ट
	पूर्वदिशा—260मी. फारेस्ट
	पश्चिमदिशा—790मीआबादी
प्रस्तावित खदान की जिलासर्वेक्षणरिपोर्टमेंस्थिति	परियोजनाप्रस्तावक ने बतायाकि इस खदान का विवरणजिले की अनुमोदितनवीनजिलासर्वेक्षणरिपोर्ट के पेजनं.-37के सरलक्रमांक-. 29परदर्ज है ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई ।

775 वीं बैठक दिनांक 21/02/2025:-परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि-

- लीज एरिया कुल 2.82 हेक्टेयर भूमि पर खनन कार्य प्रस्तावित है ।
- प्रकरण में डिया से दिनांक 14/12/2016 को ई.सी. श्री नवीन कुमार कारीवाला से श्री विभोर अग्रवाल के नाम से ट्रांसफर हुई है ।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. इंवायरमेन्टल कॉस्ट बेनेफिट एनालीसिस प्रस्तुत करें ।
2. संशोधित ई.एम.पी. योजना जिसमें पहुँच मार्ग (यदिवनभूमिनहोतो) को पक्का करने का प्रस्ताव पर्याप्त बजट के साथ देंगे ।
3. पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।

4. समिति द्वारा सुझाये अनुसार संशोधित फलदार/ पीपल,बरगद, गूलर, आवला, आचार पौधा रोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।
5. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार मोक्षधाम का रीनोवेशन, पानी की व्यवस्था हेतु हैंडपम्प एवं समुदायिक भवन बनाने का प्रस्ताव देंगे ।
6. लीज एरिया पेसा (PESA)एक्ट के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र में आता है अथवा नहीं ? यदि हाँ तो ग्रामसभा का अभिमत/अनापत्ति प्रस्तुत करें ।

प्रस्तुतीकरण के दौरानपर्यावरणीय सलाहकार द्वारासेक की 775 वीं बैठक दिनांक 21/02/2025 में चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई।समिति ने परियोजना प्रस्तावक के द्वारा प्रस्तुत जानकारी संतोषजनक पाई गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- अनुमोदित खनन योजना अनुसार डोलोमाइट उत्पादन क्षमता —35,915टन/वर्ष ।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 19.44 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.83लाख प्रति वर्ष ।
- वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 3380 वृक्षों का रोपणकिये जाये
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.90 लाख :—

S no.	Activity	Quantification
1	Renovation of Mokshadham and installation of hand pump in village Bhatiyatola.	90,000
2	Construction of community hall in village Bhatiyatola.	1,00,000
Total		1,90,000